



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102022-239581
CG-DL-E-12102022-239581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4619]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 2022/आश्विन 19, 1944

No. 4619]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2022/ASVINA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4829(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 के कि.मी. 76.000 से कि.मी. 110.000 (नकोट लगा जौलंगी से रतवाड़ी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को स्वीकृत कर सकेगा या अस्वीकृत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 के कि.मी. 76.000 से कि.मी. 110.000 (नकोट लगा जौलंगी से रतवाड़ी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ), के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखंड		जिले का नाम: टिहरी गढ़वाल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कण्डीसौड़					
गांव का नाम: ल्वाखा					
1	627	सरकारी	बंजर	0.0880000(हेक्टेयर)	0.0880000
2	628	निजी	कृषि	0.0360000(हेक्टेयर)	0.0360000
3	646	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
4	649	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
5	659	निजी	कृषि	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000
6	660	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
7	661	निजी	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
8	662	निजी	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
9	663	निजी	कृषि	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
10	664	निजी	कृषि	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000
11	665	निजी	कृषि	0.0110000(हेक्टेयर)	0.0110000
12	666	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
13	667	निजी	कृषि	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
14	668	निजी	कृषि	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
15	669	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
16	672	सरकारी	बंजर	0.0610000(हेक्टेयर)	0.0610000

17	676	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
18	677	निजी	कृषि	0.0180000(हेक्टेयर)	0.0180000
19	678	निजी	कृषि	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
20	680	सरकारी	बंजर	0.1160000(हेक्टेयर)	0.1160000
21	712	सरकारी	बंजर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
22	713	निजी	कृषि	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
कुल				0.6860	0.6860

[फा. सं. Chardham/RO/UK/DPR-3/SMEC/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2022

S.O. 4829(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-94 in the stretch of land from Km 76.000 to Km 110.000 (Nakot Laga Jaulangi to Ratwari) in the district of Tehri Garhwal in the state of Uttarakhand, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (ADM) Tehri Garhwal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), of National Highway No.-94 in the stretch of land from from Km. 76.000 to Km. 110.000 (Nakot Laga Jaulangi to Ratwari) in the district of Tehri Garhwal in the state of Uttarakhand.

State: UTTARAKHAND		District: TEHRI GARHWAL			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kandisaur					
Village: Lwarkha					
1	627	Government	Banjar	0.0880000(Hectare)	0.0880000
2	628	Private	Agriculture	0.0360000(Hectare)	0.0360000
3	646	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
4	649	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000

5	659	Private	Agriculture	0.0210000(Hectare)	0.0210000
6	660	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
7	661	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
8	662	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
9	663	Private	Agriculture	0.0130000(Hectare)	0.0130000
10	664	Private	Agriculture	0.0210000(Hectare)	0.0210000
11	665	Private	Agriculture	0.0110000(Hectare)	0.0110000
12	666	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
13	667	Private	Agriculture	0.0260000(Hectare)	0.0260000
14	668	Private	Agriculture	0.0250000(Hectare)	0.0250000
15	669	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
16	672	Government	Banjar	0.0610000(Hectare)	0.0610000
17	676	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
18	677	Private	Agriculture	0.0180000(Hectare)	0.0180000
19	678	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
20	680	Government	Banjar	0.1160000(Hectare)	0.1160000
21	712	Government	Banjar	0.0500000(Hectare)	0.0500000
22	713	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Total				0.6860	0.6860

[F. No. Chardham/RO/UK/DPR-3/SMEC/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director